

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर****::-कार्यालय आदेश ::-**

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-मा/संस्था /एफ-1/12102/शा.शि.ग्रेड-III/सी.भ./बो-1/2017-18 दिनांक 29-11-2019 व 16-12-2019 एवं 15-01-2020 एवम् 04-02-2020 के अनुसरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III पद पर भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(8) शिक्षा-2/2013 जयपुर दिनांक 15-11-2019 की पालना में इस कार्यालय स्तर पर तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III की दिनांक 07.12.2019 व 19.12.2019 को काउंसलिंग आयोजित कर परामर्श शिविर में उपस्थित/अनुपस्थित के विकल्प/सहमति पत्र के अनुसार संलग्न सूची में इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/- रु. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 03 (01) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.08.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

- संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करें :-
- 1- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
  - 2- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी/ए.॥/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधित आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50 रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
  - 3- विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रु. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
  - 4- आवेदक का दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
  - 5- आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल से कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्था प्रधान अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण पुनः इस कार्यालय को भिजायेगे।
  - 6- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ती, महगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
  - 7- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
  - 8- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
  - 9- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12 (9) एफडी (रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
  - 10- वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12 (9) एफडी (रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेरेशन से नवीन पेंशन अंशदायी की कटौती नियमानुसार होगी।

10707  
14-2-2020

11- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पर चस्पा छात्राचित (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह अभ्यर्थी ही कार्यग्रहण करे जिसका आवेदन पत्र पर छायाप्रति (फोटो) चस्पा है।

12- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अधीन रहेंगे।

13- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही हैं इनके त्रुटिपूर्ण इनके जाली अथवा कूटरचीत पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

14- शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के अन्तर्गत दी जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019, एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन होगी।

15- चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करें।

16- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूमपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

17- अन्य विभाग से आने वाले कार्मिकों से संबंधित विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे।

18- श्रीमान् राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.7(7)(2)/पंचा/रानिआ/19-20/ 659 दिनांक 15.01.2020 कि अनुपालना में आचार संहिता में अनुमति एतद् द्वारा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप राज्य से बाहर शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता धारी अभ्यर्थी के दस्तावेज कि जांच के पश्चात् नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहें हैं।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 24.02.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे। एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

सलग्न :- (01 की सूची)

(डालूराम चौधरी) 14.2.2020

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

दिनांक :- 14-02-2020

क्रमांक :- जिशिअ/मु./माध्य/बाड़/संस्था-3/फा-9/20/ 10707

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1- श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।

2- श्रीमान् सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।

3- श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।

4- श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर मण्डल जोधपुर।

5- श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर।

6- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बाड़मेर।

7- समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ----- जिला बाड़मेर।

8- संबंधित पीईईओ/प्रधानाचार्य -----।

9- संबंधित श्री -----।

10- रक्षक पत्रावली।

11- नोटिस बोर्ड।

(डालूराम चौधरी) 14.2.2020

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर



## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

क्रमांक :- जिशिअ/मु/मा./बाड़/संस्था-3/फा-9/19/ 10707

दिनांक :- 14-02-2020

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III भर्ती परीक्षा-2018 के गैर-अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के आदेश।

SNO	Merit No.	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	SEL_CAT	Address	Posting Place	Block	Photo
1	561	LAL MOHAMMAD	POTAN ANSARI	20-Nov-86	Male	GEN	GEN	SONAI NARAYANPUR CHUNAR SONAI PINCODE 231305 DIST.Mirzapur	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BABUGULERIYA (220839), RAMSAR (08171500801 VSHEO)	RAMSAR	
2	1420	ANAND KUMAR SINGH	BAIKUNTH SINGH	01-Mar-85	Male	GEN	GEN	VILL- AWARHIYA P.O- PIPARIYA P.S- DURGAWATI KAIMUR PINCODE 821105 DIST.Kaimur	GOVT. SECONDARY SCHOOL BADHA (226813), SEDWA (08171710801 )(CHOHTAN (SC))	SEDWA	
3	1442	MITRA SEN MAURYA	SRINATH MAURYA	11-Jan-92	Male	GEN	GEN	VILL-JARROWN POST- MALHNI JAUNPUR JAUNPUR PINCODE 222001 DIST.Jaunpur	GOVT. SECONDARY SCHOOL DEEPLA (221031), SEDWA (08171704301 )(CHOHTAN (SC))	SEDWA	
4	3080	ANIL KUMAR	NATHU RAM	06-Jun-93	Male	OBC	OBC	VILLAGE - BIRAN, P.O. - CHANIBADI, TEHSIL - BHADRA, BHADRA	GUPS PANANIYO KA TALA (08170909001)	CHOHTAN	

(डालू राम चौधरी)

14-2-2020  
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर